**प्रकरण संख्या 61/2016 चम्पा बनाम पन्नालाल**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 31.08.2022 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भगवान्दा खुर्द के आराजी नंबर 8, 9, 61 से 72, 79/2, 267 व 353/15 कुल किता 17 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा अंकित है। विवादित भूमि अविभाजित होकर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को विकसित कर उन्नत बनाया है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।<br><br>प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2016 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर दिनांक 22.11.2016 को अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण वक्त बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।<br><br>अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 20.10.2016 की पेशी नियत थी, किन्तु बाद में पता चला कि प्रकरण न्याय आपके द्वार में निर्णित हो चुका है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।<br><br>अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।<br><br>अपीलान्ट की ओर से आदेश [illegible] नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ [illegible] की नकल प्रस्तुत की एवं न्यायहित में इसे रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:35:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि होने से न्यायहित में उसे रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 26.05.2016 से सीधे ही दिनांक 14.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, उल्टे अपीलान्ट की सहमति स्वीकृति बताते हुए विभाजन की डिक्री पारित कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.04.2016 अनुसार प्रकरण प्रतिवादी संख्या 7 की तामील हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.05.2016 के लिए नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रतिवादी संख्या 7 की तामिल हुए नियत दिनांक 26.05.2016 के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 14.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर विभाजन की डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर एवं उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:42 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर